



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-10052022-235664
CG-DL-E-10052022-235664

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2044]
No. 2044]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 9, 2022/वैशाख 19, 1944
NEW DELHI, MONDAY, MAY 9, 2022/VAISAKHA 19, 1944

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 मई, 2022

का.आ. 2149(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3ग की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में भारतमाला योजना के तहत लुधियाना-रूपनगर NH 205K को जोड़ते हुए लुधियाना बाईपास (ग्रीनफील्ड) राजमार्ग का निर्माण (किमी 0.000 से 18.500 तक) के भू-खण्ड के निर्माण (चौड़ीकरण/4-लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्धन और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् जिला राजस्व अधिकारी लुधियाना को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकृत किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आपत्तिकर्ता को व्यक्तिगत रूप में या किसी विधिक पेशेवर द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आपत्तियों की सुनवाई के पश्चात् तथा ऐसी और जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आपत्तियों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य व्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

पंजाब राज्य के लुधियाना जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या में भारतमाला योजना के तहत लुधियाना-रूपनगर NH 205K को जोड़ते हुए लुधियाना बाईपास (ग्रीनफील्ड) राजमार्ग (किमी 0.000 से 18.500) के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण।

राज्य का नाम: पंजाब		जिले का नाम: लुधियाना			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: लुधियाना (ईस्ट)					
गांव का नाम: चक सरवन नाथ(216)					
1	7//13/1 min	निजी	कृषि	0.1189000(हेक्टेयर)	0.1189000
2	7//13/2	निजी	कृषि	0.1062000(हेक्टेयर)	0.1062000
3	7//14/1	निजी	कृषि	0.0076000(हेक्टेयर)	0.0076000
4	7//14/2 min	निजी	कृषि	0.0354000(हेक्टेयर)	0.0354000
5	7//18	निजी	कृषि	0.1037000(हेक्टेयर)	0.1037000
6	7//7/1	निजी	कृषि	0.0228000(हेक्टेयर)	0.0228000
7	7//7/2	निजी	कृषि	0.0025000(हेक्टेयर)	0.0025000
8	7//8/1	निजी	कृषि	0.0455000(हेक्टेयर)	0.0455000
9	7//8/2	निजी	कृषि	0.0683000(हेक्टेयर)	0.0683000
गांव का नाम: हीरां(217)					
1	14//19/2	निजी	कृषि	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
2	14//19/3	निजी	कृषि	0.0632000(हेक्टेयर)	0.0632000
3	25//12	निजी	कृषि	0.0733000(हेक्टेयर)	0.0733000
4	25//13	निजी	कृषि	0.3162000(हेक्टेयर)	0.3162000
5	25//14/1	निजी	कृषि	0.1518000(हेक्टेयर)	0.1518000
6	25//14/2	निजी	कृषि	0.2529000(हेक्टेयर)	0.2529000
7	25//15/1	निजी	कृषि	0.0708000(हेक्टेयर)	0.0708000

8	26//12/1	निजी	कृषि	0.1619000(हेक्टेयर)	0.1619000
9	26//12/2	निजी	कृषि	0.2428000(हेक्टेयर)	0.2428000
10	26//13	निजी	कृषि	0.1771000(हेक्टेयर)	0.1771000
11	26//18	निजी	कृषि	0.0809000(हेक्टेयर)	0.0809000
12	26//19	निजी	कृषि	0.3490000(हेक्टेयर)	0.3490000
13	26//3	निजी	एग्रिकल्चर	0.1771000(हेक्टेयर)	0.1771000
14	26//8	निजी	कृषि	0.2681000(हेक्टेयर)	0.2681000
गांव का नाम: करैड(193)					
1	35//5	निजी	कृषि	0.3592000(हेक्टेयर)	0.3592000
कुल				3.3361	3.3361

[फा. सं. 900/3/PIU-LDH/BM/LOT4-PKG1/LA/3a/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 9th May, 2022

S.O. 2149(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (widening/four laning etc.) maintenance, management, operation and Construction of Ludhiana Bypass connecting Ludhiana Rupnagar (Greenfield) highway NH 205K under Bharatmala Pariyojana in the State of Punjab (Km. 0.000 to 18.500), hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within twenty-one days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section(1) of section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely, District Revenue Officer Ludhiana in writing and shall set out the grounds thereof and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land to be acquired under their notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structures falling in the stretch of land for Construction of Ludhiana Bypass connecting Ludhiana Rupnagar (Greenfield) highway NH 205K under Bharatmala Pariyojana in the State of Punjab (Km. 0.000 to 18.500).

State: PUNJAB		District: LUDHIANA			
Sl. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: Ludhiana (East)					
Village: Chak Sarwan Nath(216)					
1	7//13/1 min	Private	Agriculture	0.1189000(Hectare)	0.1189000
2	7//13/2	Private	Agriculture	0.1062000(Hectare)	0.1062000
3	7//14/1	Private	Agriculture	0.0076000(Hectare)	0.0076000
4	7//14/2 min	Private	Agriculture	0.0354000(Hectare)	0.0354000
5	7//18	Private	Agriculture	0.1037000(Hectare)	0.1037000
6	7//7/1	Private	Agriculture	0.0228000(Hectare)	0.0228000
7	7//7/2	Private	Agriculture	0.0025000(Hectare)	0.0025000
8	7//8/1	Private	Agriculture	0.0455000(Hectare)	0.0455000
9	7//8/2	Private	Agriculture	0.0683000(Hectare)	0.0683000
Village: Hiran(217)					
1	14//19/2	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
2	14//19/3	Private	Agriculture	0.0632000(Hectare)	0.0632000
3	25//12	Private	Agriculture	0.0733000(Hectare)	0.0733000
4	25//13	Private	Agriculture	0.3162000(Hectare)	0.3162000
5	25//14/1	Private	Agriculture	0.1518000(Hectare)	0.1518000
6	25//14/2	Private	Agriculture	0.2529000(Hectare)	0.2529000
7	25//15/1	Private	Agriculture	0.0708000(Hectare)	0.0708000
8	26//12/1	Private	Agriculture	0.1619000(Hectare)	0.1619000
9	26//12/2	Private	Agriculture	0.2428000(Hectare)	0.2428000
10	26//13	Private	Agriculture	0.1771000(Hectare)	0.1771000
11	26//18	Private	Agriculture	0.0809000(Hectare)	0.0809000
12	26//19	Private	Agriculture	0.3490000(Hectare)	0.3490000
13	26//3	Private	Agriculture	0.1771000(Hectare)	0.1771000
14	26//8	Private	Agriculture	0.2681000(Hectare)	0.2681000
Village: Karair(193)					
1	35//5	Private	Agriculture	0.3592000(Hectare)	0.3592000
Total				3.3361	3.3361

[F. No. 900/3/PIU-LDH/BM/LOT4-PKG1/LA/3a/3A]

RAJESH GUPTA, Director